

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9907(1)/2017-18/118 दिनांक:-31.12.17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि.(बालक), [02]-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गम्भीर रोग से ग्रसित कर्मिकों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1413	पीसांगन (अजमेर)	479658	स्वं श्री सुनिल कुमार शर्मा अ. रामावि रामपुरा डाबला के कैंसर रोग उपचार हेतु।
2.	1480	लूणी (जोधपुर)	60805	श्री ओम प्रकाश मेहरू शाशि. राउप्रावि मानपुरा झालामण्ड के गुर्दा प्रत्यारोपण उपचार हेतु।
3.	1482	बिलाडा (जोधपुर)	220789	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव शाशि. राउप्रावि रामपुरिया भाटियान के गंभीर रोग उपचार हेतु।
4.	1710	दौसा	56538	श्री हरिराम मीना अ. रामावि बोरोदा के पिता के हृदय रोग उपचार हेतु।
5.	1613	नीमराना (अलवर)	149785	श्री बनीसिंह सेनि. शाशि.राउप्रावि जैतपुरा के गंभीर रोग उपचार हेतु राशि 84525/- व श्री सत्यपाल यादव सेनि. अ. रामावि राडवाल के गंभीर रोग उपचार पर हेतु राशि 65260/-
6.	1640	हिण्डौन सिटी (करौली)	79765	श्री महेश चन्द गोयल सेनि. वअ. राउप्रावि जमालपुर के गंभीर रोग उपचार पर व्यय हेतु राशि 51907/- व श्रीमती स्नेहीरिमा अग्रवाल सकर्म. राउप्रावि झारेडा रोड के गंभीर रोग उपचार पर व्यय हेतु राशि 27858/-
		योग	1047340	

(अंके रूपये दस लाख सैंतालीस हजार तीन सौ चालीस मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/ IFMS/ कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।

लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी